

31/5/2022

अभिलेख उपर-थायित । देनदार द्वारा बकाया राशि कागलम के नजारत आरवा में N.R. No. - 3409461, दिनांक - 12/5/2022 एवं N.R.No. - 3409462, दिनांक - 12/5/2022 के द्वारा जमा किया गया है।

आरवा प्रबंधक SBI के द्वारा शौरिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी मूल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार से संबंधित गीलाम पत्र वाद लोक अदालत में आपसी समंजस्य के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में देनदार द्वारा 50% राशि जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में गीलाम पत्र वाद निष्पादन की प्रत्याशा में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

31/5/22  
गीलाम पत्र पदाधिकारी  
चाकुलिया ।